

15-06-2021

पत्रावली वर्चुअल सुनवायी पर पेश हुई । अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने का प्रार्थना पत्र कागज सं० 9 क प्रस्तुत हुआ । जो स्वीकार किया जाता है । अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है ।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
कानपुर-देहात ।

15-06-2021